FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्री नन्दलाल व्यास निवासी बसन्त विहार, तीसरी 'ए' रोड, सरदारपुरा, जोधपुर (राज.)		सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़ जंक्शन

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 48 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़ जंक्शन ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29-5-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, पाली	618-19 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी तह० मा० जं० द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई इस बाबत तह० मा० जं० को निर्देशित किया जावे। इस न्यायालय द्वारा जरिए पत्रांक 618 दि 6/5/19 के सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर तह० मा० जं० ने प्रत्युत्तर प्रेषित किया जिसके अनुसार प्रथम दो प्रार्थना पत्रों में ख० नं० 326 से संबंधित सूचना चाही जिसमें जाइन्ट खुर्द खालसा अथवा जाइन्ट जागीर होने से किस ग्राम की सूचना चाही गई इसका अंकन नहीं होने से अपी० को सूचित एवं दुरस्ती हेतु लिखा गया तथा बाद में सही ग्राम का नाम प्रा० पत्र दि 11-2-19 में अंकन कर प्रस्तुत करने पर सूचना बनाकर समयावधि में लेन्ड रेकार्ड रूल्स के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने हेतु जरिए पत्रांक 534 दि 26/2/19 के सूचित किया गया। अपी० द्वारा पालना न कर इस न्यायालय में अपील कर दी। तथा वर्तमान में तह० मा० जं० से प्राप्त सूचना अनुसार अपी० द्वारा राज० राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील भी पेश कर दी गई। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलांट को सूचित करते हुए drop की जाती है। तह० मा० जं० से प्राप्त जवाब की प्रति अपी० को भिजवाई जावे। पत्रावली इस न्यायालय से खुलासा फैसला की जाकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, पाली	779 4/6/19